न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–46 / 2021

दायर दिनांक :–29 / 06 / 2021

निर्णय दिनांक :–14 / 08 / 2025

<u>अनवान्</u>

1. अरुण कुमार पिता अर्जुनलाल बोहरा महाजन निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादी

<u>बनाम</u>

1. उदयराम पुत्र कालुराम अहिर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जशोदा देवी पत्नि रामेश्वरलाल ब्राहम्ण निवासी माउ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. डालु पुत्र रामा रेगर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. भवरलाल पिता डालु रेगर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. शान्तिलाल पिता उदयराम लखारा निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. कैलाशचन्द्र पिता उदयराम लखारा निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. रुकमण पत्नि उदयराम लखारा निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. शंकरलाल पिता बद्रीलाल अहिर निवासी कानाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. शाखा प्रबन्धक यू.सी.सी बी. बैंक शाखा रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री परसराम जाट, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से –1. श्री रोशनलाल साहू,अधिवक्ता
2. पुजा उपाध्याय, अधिवक्ता

दिनांक –14 / 08 / 2025

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील क्षैत्र रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 3044 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3046 रकबा 0.1214 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1323, 1324, 1325 कुल किता–03 कुल रकबा 2.5172 हैक्टेयर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित नकल पेश हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादी का 86/123 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 11/82 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 07 के पूर्वज उदयराम पिता नारायण का 1/24 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्यार 04 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 07 के पूर्वज उदयराम पिता कालुराम अहिर का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वादपत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 08 का 2/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगाायत 03 में वर्णित आराजीयात का विभाजन पूर्व में आपसी सहमति के आधार पर हो चुका है जो पृथक पृथक रुप से खेती बाडी कर रहे है तथा पृथक पृथक रुप से ही अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा भूमि के विकास के लिये वादी राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहता है तथा राजस्व रेकार्ड में भी अपना स्वतंत्र अंकन कराना चाहता हैं जिसके लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण वादी को वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 03 में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की बाध रुकावट पैदा नही करे इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना नितान्त आवश्यक है कि वादी को अपने हिस्से की जमीन में बाधा रुकावट हस्तक्षेप कारित नही करें। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 को वादपत्र की कलम संयख 01 में वर्णित आराजीयात को विभाजन हेतु कहा मगर दिनांक 05/06/2021 को प्रतिवादीगण के द्वारा मना करने पर दिनांक 05/06/2021 से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। भूमि के विकास एवं समुचित उपयोग उपभोग करने में तथा लगान आदि जमा कराने में विभाजन कराया जाना नितान्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आवश्यक हैं। जिस निमित्त वादी द्वारा वादपत्र दप्रस्तुत किया जा रहा हैं।वादपत्र का विभाजन मौके पर कब्जे के अनुसार कराया जावें यदि किसी आराजीयात का विभाजन सम्भव नही हो तो उसे निलाम के जरिये बेचान करवाकर वादी को हिस्से अनुसार राशि दिलाई जावें। तथा विभाजन के पश्चात अपनी अपनी भूमियों में आने जाने हेतु मोके पर रास्ता रखा जाकर रास्ते को शामिल में दर्ज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 09 व 10 के यहां वादी व प्रतिवादी संख्या 08 की भूमियां रहन होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 भूमिधारक होने तथा वाद विभाजन का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है मगर प्रतिवादी संख्या 09, 10 व 11 के विरुद्व किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गई हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 के विरुद्व इस आशय की प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वादपत्र की पेरा संख्या 01, 02, 03 में वर्णित कृषि भूमियों का विभाजन वादपत्र की कलम संख्या 04, 05 व 06 में वर्णित हिस्से अनुसार कब्जे के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी को अपने हिस्से का स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एवं उसी अनुरुप राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रचलित फरमाई जावें। विभाजन के पश्चात वादी को प्राप्त होने वाली आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप बाध कारित नही करे इस निमित प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 08 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11 के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या 01, 02, 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी स्वयं साबित करावें। वादपत्र की कलम संख्या 04, 05, 06 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी स्वयं अपनी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करावें। वादपत्र की कलम संख्या 07 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में पक्षकारान आपसी सुविधानुसार कब्जे काश्त में अवश्य चले आ रहे है जिनका रेकार्ड अनुसार अभी कोई विभाजन नही हुआ है, क्योंकि अब तक विभाजन की कोई आवश्यकता नही हुई। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है कि उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 केवल अपने हिस्से की जमीन पर ही काबिज होकर उसको उपयोग

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपभोग में लेता चला आ रहा है तथा हिस्से बंटवाडे को लेकर कभी कोई विवाद हुआ ही नही तथा न ही वादी ने हिस्से बंटवाडे के लिये कहा गया ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है। वादपत्र की कलम संख्या 09 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने प्रवितादी संख्या 01 को कभी भी विभाजन के लिये नही कहा एवं न ही प्रवितादी संख्या 01 द्वारा इंकार किया जिससे वादी को कोई वाद हेतुक ही उत्पन्न नही हुआ है ऐसी स्थिति में बिना वाद हेतुक के वादी का वाद पत्र खारिज होने योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 10 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में उक्त विवरण का जवाब अपेक्षित नही है। वादपत्र की कलम संख्या 11 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में जब मौके पर विभाजन को लेकर कोई विवाद ही नही है तो ऐसी स्थिति में वादी कोई विभाजन कराने का अधिकारी नही है। मौके पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर कब्जे काश्त में चले आ रहे है। वादपत्र की कलम संख्या 12 के विवरण का जवाब दिया जाना अवश्यक नही है। वादपत्र की कलम संख्या 13 का विवरण कानुनी होकर जांच से सम्बन्धित है। प्रार्थना वादी द्वारा मिथ्या आधारों पर वर्णित की गई है जिससे वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बिना वाद हेतुक तथ्य छिपाकर मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया गया होने से उक्त वादपत्र मय खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. वादग्रस्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की होने से वादी विभाजन कराने का अधिकारी हैं।

   ––जिम्मे वादी

2. वाद पत्र में वर्णित भूमियों का विभाजन पूर्व में आपसी सहमति के आधार पर हो पृथक पृथक कब्जा काश्त होने से वादी कब्जा अनुसार विभाजन का अधिकारी हैं।

   ––जिम्मे वादी

3. विभाजन पश्चात वादी को प्राप्त होने वाली आराजीयात में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी हस्तक्षेप नही करें। इस हेतु वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

   ––जिम्मे वादी

4. पक्षकारान आपसी सुविधा अनुसार कब्जे काश्त में अवश्य चले आ रहे है जिनका रेकार्ड के अनुसार अभी कोई विभाजन नही हुआ हैं।

   ––जिम्मे प्रतिवादी

5. हिस्से बंटवाडे को लेकर कभी कोई विवाद हुआ ही नही हैं।जिससे वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

—जिम्मे प्रतिवादी

6. वादी ने प्रतिवादी को कभी भी विभाजन के लिए नही कहा एवं न ही प्रतिवादी द्वारा इंकार किया। जिससे वादी का वाद हेतुक उत्पन्न नही होता हैं।

—जिम्मे प्रतिवादी

7. अनुतोष।

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थी कि वादी एवं प्रवितादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रकरण में हिस्से अनुसार विभाजन कराने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता ने दौराने बहस भी हिस्से अनुसार विभाजन कराने हेतु सहमति व्यक्त कर हिस्से अनुसार विभाजन कराये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 के संयुक्त एवं स्वामित्व की होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में सहखातेदारी भूमियों का विधिवत विभाजन कराये जाने का प्रावधान निहित किया गया है।

: : आदेश : :

अतः प्रकरण में वादी एवं प्रवितादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा हिस्से अनुसार विभाजन की सहमति प्रदान किये जाने से वादी का वाद आंशिक रूप से विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील क्षैत्र रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 3044 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3046 रकबा 0.1214 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1323, 1324, 1325 कुल किता–03 कुल रकबा 2.5172 हैक्टेयर भूमियों में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार रेलमगरा उभय पक्षकारान को सूचित करते हुए उनके मध्य राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रारम्भिक डिकी

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–46 / 2021

वादी पक्ष :–

1. अरुण कुमार पिता अर्जुनलाल बोहरा महाजन निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीपक्ष :–

1. उदयराम पुत्र कालुराम अहिर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. जशोदा देवी पत्नि रामेश्वरलाल ब्राहम्ण निवासी माउ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. डालु पुत्र रामा रेगर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. भवरलाल पिता डालु रेगर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. शान्तिलाल पिता उदयराम लखारा निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. कैलाशचन्द्र पिता उदयराम लखारा निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. रुकमण पत्नि उदयराम लखारा निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. शंकरलाल पिता बद्रीलाल अहिर निवासी कानाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. शाखा प्रबन्धक यू.सी.सी बी. बैंक शाखा रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :– वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से –   श्री परसराम जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से –1. श्री रोशनलाल साहू,अधिवक्ता

2. पुजा उपाघ्याय, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 14 / 08 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि प्रकरण में वादी एवं प्रवितादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा हिस्से अनुसार विभाजन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

की सहमति प्रदान किये जाने से वादी का वाद आंशिक रूप से विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील क्षैत्र रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 3044 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3046 रकबा 0.1214 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1323, 1324, 1325 कुल किता–03 कुल रकबा 2.5172 हैक्टेयर भूमियों में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार रेलमगरा उभय पक्षकारान को सूचित करते हुए उनके मध्य राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 14/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

की सहमति प्रदान किये जाने से वादी का वाद आंशिक रूप से विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज तहसील क्षैत्र रेलमगरा जिला राजसमन्द की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 3044 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3046 रकबा 0.1214 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1323, 1324, 1325 कुल किता–03 कुल रकबा 2.5172 हैक्टेयर भूमियों में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार रेलमगरा उभय पक्षकारान को सूचित करते हुए उनके मध्य राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन कर विभाजन योजना मय नक्शा ट्रेस पृथक–पृथक रंग भरे जाकर प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें।

आज दिनांक 14/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा